पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/प्रवर्तन–अनु0/2013–14/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: 13 सितम्बर, 2013

//विज्ञप्ति//

(धारा–43(8)/धारा–48(10)/धारा–48क(7) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–43(7), धारा–48(10) एवं धारा–48क(7) के अन्तर्गत जारी पूर्व विज्ञप्तियों को एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा–43(7), धारा–48(9) एवं धारा–48क(6) के अन्तर्गत, सचलदल इकाई में तैनात अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में क्रमशः धारा–43(8), धारा–48(10) एवं धारा–48क(7) के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सम्बन्धित रेंज के डिप्टी कमिश्नर(प्रवर्तन) वाणिज्य कर को प्राधिकृत किया जाता है; तथा

अधिनियम की धारा–43(7), धारा–48(9) एवं धारा–48क(6) के अन्तर्गत, सचलदल इकाई में तैनात अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में क्रमशः धारा–43(8), धारा–48(10) एवं धारा–48क(7) के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उस सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, जिसके सम्भाग में माल/वाहन का प्रथम बार निरीक्षण/जाँच किया गया हो, को प्राधिकृत किया जाता है।

यह विज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तरखण्ड।

पृ0प0सं0 2698 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रनगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन।
5– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों/बार एसोसियेशन/उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
10– श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–3 वाणिज्य कर, देहरादून/web. Information officer को NIC एवं विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
11– डिप्टी कमिश्नर, (उच्च न्याय0कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
12– मुख्यालय के संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
14– इन्टावेट ईन्फो प्रा0लि0–4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर–13 आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001।
15– नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद।
16– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेंट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
17– स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233, शस्त्री नगर, गाजियाबाद–201002।
18– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19– दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14 आढ़त बाजार, देहरादून।
20– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222/5 गाँधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।